समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक..... /गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज
कार्य0अभि0, भवन प्र0, मधेपुरा
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक.....

**विषय : नयी तकनीक से निर्मित होने वाले प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवनों एवं परिसर विकास के लिए किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-185396, दिनांक-16-05-2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नयी तकनीक से निर्मित होने वाले प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवनों एवं परिसर विकास के लिए किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत निदेश दिया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....1481..... /गो0, मधेपुरा, दिनांक.....20/05/2014

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

20/05/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

23666

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा.........विकास

DDC

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 185396 /ग्रा0वि0वि0, पटना, दिनांक- 16/05/14

ग्रा0वि03/स्था013-01/14

समाहरणालय मधेपुरा 19 MAY 2014

DDC/SDM/EE भवन/AE/BDOs सभी को/ AS per rule action कर/ 19/05/14

प्रेषक:-

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- नयी तकनीक से निर्मित होने वाले प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवनों एवं परिसर विकास के लिए किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

राज्य में संप्रति 534 प्रखंड हैं इसमें से 137 नवसृजित प्रखंड जिनके कार्यालय भवन एवं आवास नहीं है । इन 137 नवसृजित एवं 1 बोधगया प्रखंड कुल 138 प्रखंडों के प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, आवास, निर्माण एवं परिसर विकास हेतु प्रति प्रखंड कार्यालय सह आवास यूनिट हेतु 538.84 लाख रूपये तथा आवास यूनिट हेतु 351.00 लाख रूपये पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

2. भवन निर्माण विभाग द्वारा कुल 38 प्रखंडों के लिए 29829.00 लाख (दो अरब अनठानवे करोड़ उन्नतीस लाख) रूपये के प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में ज्ञापांक 111963 दिनांक 28.06.12 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-3 में मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष 051- निर्माण उप मुख्य शीर्ष-01 कार्यालय भवन समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) विपत्र कोड पी0-4059010510117 के अन्तर्गत 750000000.00 (पचहत्तर करोड़) रूपये मात्र का उपबंध किया गया था ।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-3 में मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष 051- निर्माण उप मुख्य शीर्ष-01 कार्यालय भवन समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) विपत्र कोड पी0-4059010510117 के अन्तर्गत 24.50.00,000.00 (चौबीस करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र का उपबंध किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस हेतु 93,22,89,000/- (तिरानवे करोड़ बाईस लाख नवासी हजार) रूपये का बजटीय उपबंध निर्धारित किया गया है ।

14.5.14

4. भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन सहित मानक प्राक्कलन पर कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण, निरीक्षण कमरा एवं परिसर का निर्माण प्रति प्रखंड 12.15 करोड़ (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये की दर से 39 प्रखंडों के लिए 473.85 करोड़ (चार अरब तिहत्तर करोड़ पचासी लाख रूपये) के लागत व्यय पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 173356 दिनांक 08.01.14 द्वारा लिया जा चुका है ।

5. बजट शीर्ष 4059, उप शीर्ष 0117 प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि 93,22,89,000/- (तिरानवे करोड़ बाईस लाख नवासी हजार) रूपये का व्यय वित्त विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देश जो पत्रांक 353 दिनांक 15.04.14 एवं पत्रांक 310 दिनांक 28.03.14 में दिया गया है, के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर उक्त मद में वित्त विभाग द्वारा बंधेज अधिसीमा का निश्चित रूप से पालन करते हुये राशि आवंटित की जाय।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे एवं इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

7. उपबंधित राशि के संपूर्ण व्यय के लिए संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उत्तरदायी होंगे । वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राशि के प्रत्यर्पण की स्थिति में सकारण प्रतिवेदन वित्त विभाग को भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उनके द्वारा प्रतिवेदित किया जायेगा ।

8. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98, पत्र सं0-4981 दिनांक 16.05.13 तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0-7729 दिनांक 26.07.12 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

14.5.14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 185396 दिनांक:- 16/05/14

ग्रा0वि0-3/स्था0-13-01/14

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.5.14

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 185396 दिनांक:- 16/05/14

ग्रा0वि0-3/स्था0-13-01/14

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.5.14

प्रधान सचिव